



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 14 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 23, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9

संख्या 3267/छ:-पु०-9-20-20(10)(9)-89 टी०सी०
लखनऊ, 14 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना
(शक्ति)

प०आ०-459

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 21 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा सम्बन्धन प्राप्त निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की प्रयोगात्मक एवं प्राविधिक कला विषयों की अखिल भारतीय व्यवसायिक परीक्षा, 2020 (Semester System/Annual System/Dual System of Training) की परीक्षाओं हेतु समस्त केन्द्रों के अधीक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 तक की अवधि के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करते हैं, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे और उन्हें संबंधित केन्द्रों, जिसके वे अधीक्षक एवं प्रधानाचार्य हैं, की सीमा के भीतर के क्षेत्रों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट की ऐसी सभी शक्तियां प्रदान करते हैं, जो उक्त संहिता के अधीन ऐसे कार्यपालक को प्रदान की जा सकती हैं।

आज्ञा से,
भगवान स्वरूप,
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 3267/VI-P-9-20-20(10)(9)-89T.C., dated December 14, 2020:

No. 3267/VI-P-9-20-20(10)(9)-89T.C.

Dated Lucknow, December 14, 2020

IN exercise of the power under section 21 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974), the Governor is pleased to appoint with effect from the issuance of notification till December 2, 2020 all the Superintendents and Principals of the centres of Semester System/Annual System/Dual System of Government Industrial Training Institutions and Private Industrial Training Institutions Examination-2020 conducted by Vyavasayik Pariksha Parishad, Uttar Pradesh as Executive Magistrates, to be known as Special Executive Magistrate and to confer on them all powers of the Executive Magistrates as are conferrable under the said Code on such Executive Magistrate, to be exercised within the limits of the respective centres of which they are the Superintendents.

By order,
BHAGWAN SWARUP,
Sachiv.